कार्यालय कलेक्टर जिला–मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क्र.36/अ-82/भू–अर्जन/2016–17 5283 07.07.17. मुरैना, दिनांक : 7/7/2017

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम पचेर तहसील व उपखण्ड सबलगढ़, जिला–मुरैना में कुल रकवा 0.037 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला–मुरैना तहसील–सबलगढ़ के ग्राम–पचेर प.ह.नं.35, रा.नि. वृत–01 में उक्त परियोजना के लिये 0.037 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:–

अनुसूची

क.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर मे	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
01	432/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	रोशन पुत्र मुल्ला, कुशमा , सुखी पुत्रीयॉ मुल्ला समान भाग
02	432/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रोशन पुत्र मुल्ला
03	400	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.016	बंसती वेवा दुर्जन, गणेश पुत्र दुर्जन, बैकुण्ठी, मीरा पुत्रियान दुर्जन, नरेश पुत्र वासुदेव हिस्सा 1/3 रामप्रसाद, अंगद पुत्रगण पन्ना हिस्सा 1/5 स. भाग, जाति कुम्हार गिरधर पुत्र गुलाब जाति ब्रा. नि. जाटोली हिस्सा 1/2

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

समुचित सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।